



सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एक समान वार्षिक अवकाश तालिका - 2024



क्र. सं.	अवकाश तिथि	दिन का नाम	अवकाशों की संख्या	अवकाश का नाम
1	1 जनवरी से 5 जनवरी तक	सोमवार से शुक्रवार	5	शीतकालीन अवकाश
2	14 जनवरी	रविवार	0	सोहराय
3	15 जनवरी	सोमवार	1	मकर संक्रांति
4	23 जनवरी	मंगलवार	1	नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
5	26 जनवरी	शुक्रवार	1	गणतंत्र दिवस
6	14 फरवरी	बुधवार	1	बसंत पंचमी
7	24 फरवरी	शनिवार	1	संत रविदास जयंती
8	8 मार्च	शुक्रवार	1	महाशिवरात्रि
9	25 मार्च से 26 मार्च	सोमवार से मंगलवार	2	होली
10	29 मार्च	शुक्रवार	1	गुड फ्राइडे
11	10 अप्रैल	बुधवार	1	ईद-उल-फितर
12	11 अप्रैल	गुरुवार	1	सरहुल
13	14 अप्रैल	रविवार	0	आंबेडकर जयंती
14	17 अप्रैल	बुधवार	1	रामनवमी
15	21 अप्रैल	रविवार	0	महावीर जयंती
16	1 मई	बुधवार	1	मजदूर दिवस
17	21 मई से 2 जून		11	बुद्ध पूर्णिमा/ग्रीष्मकालीन अवकाश
18	16 से 17 जून	रविवार से सोमवार	1	बकरीद/ईद-उल-जुहा
19	30 जून	रविवार	0	हुल दिवस
20	7 जुलाई	रविवार	0	रथ यात्रा
21	17 जुलाई	बुधवार	1	मुहर्रम
22	9 अगस्त	शुक्रवार	1	विश्व आदिवासी दिवस
23	15 अगस्त	गुरुवार	1	स्वतंत्रता दिवस

क्र. सं.	अवकाश तिथि	दिन का नाम	अवकाशों की संख्या	अवकाश का नाम
24	18 से 19 अगस्त	रविवार से सोमवार	1	मनसा पूजा/रक्षा बंधन
25	26 अगस्त	सोमवार	1	जन्माष्टमी
26	7 सितंबर	शनिवार	1	गणेश चतुर्थी
27	14 सितंबर	शनिवार	1	करमा
28	16 सितंबर	सोमवार	1	मोहम्मद साहब का जन्मदिन (मिलाद-उन-नबी)
29	17 सितंबर	मंगलवार	1	विश्वकर्मा पूजा
30	2 अक्टूबर	बुधवार	1	गाँधी जयंती
31	3 अक्टूबर	गुरुवार	1	कलश स्थापना
32	10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर	गुरुवार से शनिवार	3	दुर्गा पूजा (अष्टमी, नवमी एवं दशमी)
33	31 अक्टूबर	गुरुवार	1	दीपावली
34	2 नवंबर	शनिवार	1	गोवर्धन पूजा/ चित्रगुप्त पूजा
35	3 नवंबर	रविवार	0	भैयादूज
36	7 नवंबर से 8 नवंबर	गुरुवार से शुक्रवार	2	छठ
37	15 नवंबर	शुक्रवार	1	गुरुनानक जयंती/राज्य स्थापना दिवस
38	25 दिसंबर	बुधवार	1	क्रिसमस डे (बड़ा दिन)
39	26 दिसंबर से 31 दिसंबर	गुरुवार से मंगलवार	5	शीतकालीन अवकाश
40	स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला स्तर से निर्धारित किये जाने वाले अवकाश		5	
कुल अवकाशों की संख्या			60	

- अधिसूचित उर्दू विद्यालय में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के जगह पर शुक्रवार को होगी।
- उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर)
- जिला स्तर से अगर कोई अवकाश तालिका निर्गत की गई है तो उसे निरस्त माना जाएगा (**NOTE** - इस तालिका की निर्गत तिथि से पूर्व का अवकाश, तालिका से भिन्न होने की स्थिति में उक्त अवकाश अन्य अवकाशों के साथ इस प्रकार समायोजित करें कि कुल अवकाशों की संख्या 60 से अधिक न हो)।

किरण कुमारी पासी, भा0प्र0से0
निदेशक
जे.सी.ई.आर.टी., राँची

उमा शंकर सिंह, भा0प्र0से0
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार